



# माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

☎ : कार्या- (0755) 2551650, फैंक्स - (0755) 2552061



क्रमांक / 1610 / प.स. / 2020

भोपाल दिनांक 16/03/2020

प्रति,

समस्त, जिला कलेक्टर  
मध्यप्रदेश।

विषय:-मण्डल द्वारा संचालित सत्र 2019-20 की प्रारंभिक शिक्षा में पत्रोपाधि पाठ्यक्रम (D.El.Ed.) नियमित परीक्षा प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के केन्द्र व्यवस्था बाबत।

—//—

मण्डल द्वारा संचालित सत्र 2019-20 की प्रारंभिक शिक्षा में पत्रोपाधि पाठ्यक्रम (D.El.Ed.) नियमित परीक्षा प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षाएँ जारी परीक्षा कार्यक्रमानुसार 02 जून 2020 से प्रारंभ होगी। उक्त परीक्षा की भी केन्द्र व्यवस्था हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी मुख्य परीक्षा 2020 की भाँति की जाना है।

जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में निम्नानुसार गठित चयन समिति द्वारा परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण किया जाये:-

(1)	कलेक्टर	—	अध्यक्ष
(2)	पुलिस अधीक्षक	—	सदस्य
(3)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	—	सदस्य
(4)	प्राचार्य शास उत्कृष्ट उमावि (समन्वयक संस्था)	—	सदस्य
(5)	संभागीय अधिकारी, मा.शि.मण्डल, म.प्र.	—	सदस्य
(6)	जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त/ जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग	—	सदस्य सचिव

उक्तानुसार गठित समिति के माध्यम से मण्डल परीक्षा प्रारंभिक शिक्षा में पत्रोपाधि पाठ्यक्रम (D.El.Ed.) नियमित परीक्षा प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षा का केन्द्रों के निर्धारण मार्गदर्शी मापदण्डों के अनुसार किया जाना है। वर्ष 2020 में हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा में निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में से ही जिला मुख्यालय पर शासकीय संस्थाओं को परीक्षा केन्द्र का चयन केन्द्र क्षमता के अनुरूप किया जाना है इस हेतु डी एड संस्थानों की कुल सीट सहित सूची प्रेषित की जा रही है। केन्द्र व्यवस्था में निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जावे-


1. केन्द्र व्यवस्था जिला मुख्यालय स्थित शासकीय संस्थाओं में ही की जावे।
2. जिस संस्थान के प्रथम वर्ष के छात्रों को परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जावेगा, उस संस्थानों के द्वितीय वर्ष के परीक्षार्थी का परीक्षा केन्द्र वही आवंटित किया जावे। साथ ही इस वर्ष प्रथम वर्ष के नये प्रवेशित परीक्षार्थियों की परीक्षा जारी नवीन पाठ्यक्रम के अधार पर ली जावेगी, तथा पूर्व में प्रथम वर्ष अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की परीक्षा प्रचलित पुराने पाठ्यक्रम के अधार पर ली जावेगी। उक्त स्थिति में नये एवं पुराने पाठ्यक्रम के कारण किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न हो, अतः ध्यान रखा जावे, जिन जिलों में एक से अधिक केन्द्र स्थापित हो रहे हैं, उस जिले में प्रथम वर्ष में पुराने पाठ्यक्रम के 250 से अधिक छात्र हो तो, समस्त छात्रों का परीक्षा केन्द्र एक ही संस्था में स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जावे। जिससे नवीन एवं पुराने पाठ्यक्रम के छात्र एक ही केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित न हो। जिन जिलो में छात्र संख्या कम है, तथा केन्द्रों की संख्या एक या दो ही स्थापित होना है, उस जिले में यह व्यवस्था नहीं की जावे। उक्त व्यवस्था हेतु आपको प्रथम वर्ष नये एवं पुराने पाठ्यक्रम के छात्रों की संख्या पृथक-पृथक उपलब्ध कराई जावेगी।

3. केन्द्र चार्ट में केन्द्र की क्षमता के अनुरूप संस्थानों को अनुलग्न किया जावे। किसी भी परीक्षा केन्द्र पर क्षमता से अधिक छात्र आवंटित नहीं किये जावे, 250 से कम छात्रों का परीक्षा केन्द्र प्रस्तावित नहीं किया जावे।
4. परीक्षा केन्द्र का चयन हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा हेतु पूर्व में अनुमोदित परीक्षा केन्द्रों में से ही चयन किया जावे। साथ ही तीन परीक्षा केन्द्र रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किये जावे।
5. प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के छात्रों को पृथक-पृथक कॉलम में दर्शाया जावे।

स.क्र.	केन्द्र क्रमांक	केन्द्र का नाम	क्षमता	आवंटित संस्था क्रमांक	संस्थान का नाम	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8

कृपया उपरोक्त केन्द्र व्यवस्था का प्रस्तावित केन्द्र चार्ट मण्डल को दिनांक 07.04.2020 तक अनिवार्यतः उपलब्ध कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करे।

संलग्न:-संस्थानों की छात्रवार सूची।



सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश  
भोपाल  
भोपाल, दिनांक: 16/03/2020

पृष्ठांकन क्रमांक/1611 /परीक्षा समन्वय/2020  
प्रतिलिपि :-

- 1 निज सचिव-अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल।
- 3 समस्त पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
- 4 समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश।
- 5 संयुक्त संचालक, शिक्षा समस्त, मध्यप्रदेश।
- 6 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
- 7 समस्त प्राचार्य, समन्वयक संस्था, मध्यप्रदेश।
- 8 आंचलिक/समस्त, संभागीय अधि./समस्त स.स./क.अ. परीक्षा संभाग एवं लोक सूचना कक्ष।
- 9 पंजीयक परीक्षा/जनसम्पर्क अधि./विधि अधि./सी.एस.ओ./वित्ताधिकारी, मा.शि.मंडल भोपाल।
- 10 नि.स.- सचिव/अतिरिक्त सचिव/परीक्षा नियंत्रक, मा.शि.म.मंडल।



सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश  
भोपाल



**डी.एल.एड (द्वि-वर्षीय पाठ्यक्रम) प्रथम/द्वितीय वर्ष नियमित परीक्षा वर्ष 2020**

**// आदेश //**

मण्डल द्वारा संचालित सत्र 2019-20 की प्रारंभिक शिक्षा में पत्रोपाधि पाठ्यक्रम (D.El.Ed.) नियमित परीक्षा प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन-पत्र एम पी ऑनलाईन के कियोस्क अथवा पोर्टल के माध्यम से दिनांक 20.03.2020 से 05.04.2020 तक भर सकेंगे।

**नियमित प्रथम/द्वितीय वर्ष के परीक्षार्थी के परीक्षा आवेदन पत्र भरने के निर्देश -**

- (1) समस्त मान्यता एवं संबद्धता प्राप्त संस्थाएँ प्रवेश हेतु राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा एम. पी. ऑनलाईन पोर्टल पर User Id & Passsword प्रदाय कर कौउनसिलिंग उपरांत संस्थावार प्रवेश दिया जाता है, संस्था प्राचार्य उसी User Id & Passsword से मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षा वर्ष 2019-20 के परीक्षा आवेदन ऑनलाईन भर सकेंगे। मण्डल द्वारा पृथक से परीक्षा आवेदन पत्र भरने हेतु User Id & Passsword प्रदाय नहीं किये जावेगे। संस्था प्राचार्य पासवर्ड की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। प्रविष्टी उपरांत प्रत्येक आवेदन का प्रिन्ट आउट सादे कागज पर कियोस्क से प्राप्त करेंगे। परीक्षा आवेदन-पत्र में समस्त प्रविष्टियाँ एवं छायाचित्र प्रवेश आवेदन-पत्र के समय भरे गये विवरण अनुसार स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगी। केवल परीक्षार्थीवार विषयों का चयन एवं शुल्क का भुगतान करने का परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाईन जमा होंगे।

**परीक्षा उत्तीर्ण करने की पात्रता**

आदेश क्रमांक 728-29/परीक्षा/समन्वय/2018, भोपाल दिनांक 13.04.2018 द्वारा डी.एल.एड. द्वि-वर्षीय पाठ्यक्रम (प्रथम/द्वितीय वर्ष) की परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु प्रवेश दिनांक (प्रवेशित वर्ष का माह जुलाई) से अधिकतम तीन निरन्तर वर्ष प्रदाय किये जावेगें, यह व्यवस्था आदेश जारी होने के दिनांक से लागू रहेगी। नियमानुसार निम्न परीक्षार्थियों को आवेदन भरने की पात्रता रहेगी-

- 1 शिक्षण सत्र 2019-20 प्रवेशित नवीन अभ्यार्थी **प्रथम वर्ष का परीक्षा आवेदन नवीन पाठ्यक्रम के विषय चयन कर भर सकेंगे।** मण्डल से संबद्धता प्राप्त संस्थान के वे ही छात्र आवेदन कर सकेंगे जिनको संस्थानों द्वारा शासन से जारी प्रवेश नियमों के अन्तर्गत प्रवेश दिया गया है, तथा जिनके द्वारा पाठ्यक्रम हेतु NCTE निर्धारित शैक्षणिक दिवसों एवं शिक्षण अभ्यास कार्यक्रम विधिवत पूर्ण किया है।
- 2 शैक्षणिक सत्र 2018-19 के ऐसे परीक्षार्थी जो प्रथम वर्ष के कतिपय विषयों में अनुत्तीर्ण है, वे प्रथम वर्ष के **पुराने पाठ्यक्रम के अनुत्तीर्ण विषयों में सम्मिलित हो सकेंगे।** प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने पर आगामी सत्र में ऐसे परीक्षार्थी द्वितीय वर्ष परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।
- 3 शिक्षण सत्र 2018-19 में प्रवेशित प्रथम वर्ष उत्तीर्ण छात्र द्वितीय वर्ष का परीक्षा आवेदन भर सकेंगे।
- 4 डी.एल.एड. शैक्षणिक सत्र 2017-18 में प्रवेशित छात्रों को डी.एल.एड. द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम के अनुत्तीर्ण विषयों में वर्ष 2020 की मुख्य परीक्षा जून/जुलाई में आयोजित परीक्षा में अंतिम अवसर परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।
- 5 सत्र 2017-18 के ऐसे परीक्षार्थी जो प्रथम वर्ष उत्तीर्ण हो चुके हैं, परन्तु द्वितीय वर्ष परीक्षा में किसी भी अवसर (परीक्षा) में सम्मिलित नहीं हुए हैं, ऐसे परीक्षार्थी अंतिम अवसर के रूप में द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।

अन्य राज्यों/अन्य मण्डलों से हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण, D.El.Ed. प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों के ऑनलाईन परीक्षा आवेदन-पत्र भरते समय ग्राह्यता दस्तावेजों (हायर सेकेण्डरी स्वाध्यायी नियमित उत्तीर्ण होने की स्थिति में अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची एवं प्रवजन (माइग्रेसन) प्रमाण-पत्र तथा हायर सेकेण्डरी नियमित उत्तीर्ण होने की स्थिति में अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची, अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांसफर सर्टिफिकेट एवं प्रवजन (माइग्रेसन) प्रमाण-पत्र की स्व प्रमाणित प्रति अपलोड की जाना आवश्यक होगा।

- (3) डी.एल.एड परीक्षा नियमित द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से उन छात्रों के भरे जा सकेंगे, जिन्होंने प्रथम वर्ष की परीक्षा शैक्षणिक सत्र 2018-19 में निर्धारित अवसरों में परीक्षा उत्तीर्ण की गई हो। ऐसे परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र प्रथम वर्ष के अनुक्रमांक की प्रविष्टि करने पर पूर्ण डाटा ऑनलाइन के पोर्टल पर प्रदर्शित होगा, केवल छात्र के पाठ्यक्रम अनुसार विषयों की प्रविष्टि कर शुल्क का पेड किया जाना है।
- (4) समस्त (D.El.Ed.) आवेदन पत्रों की प्रविष्टि उपरांत संस्था प्राचार्य कियोस्क से शुल्क एवं आवेदनों की पावती प्राप्त करें। आवेदन के साथ पात्रता संबंधी अभिलेख एवं अन्य राज्य बोर्ड के प्रकरणों में आवेदन पत्र के साथ स्वप्रमाणित दस्तावेज तथा केवल मूल माईग्रेशन दस्तावेज दिनांक 10.04.2020 तक संबंधित संभागीय कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। संभागीय अधिकारी दस्तावेज एवं आवेदन पत्र अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे। ग्राह्यता एवं पात्रता परीक्षण मण्डल स्तर पर नहीं किया जावेगा, मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक एफ नं.40-10/2016/20-2 के बिन्दु क्रमांक 10.1 व 10.2 के अनुसार राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा डी. एल. एड. के प्रवेश संबंधी कार्यवाही की जाती है।

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल द्वारा सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं में प्रदेश के एवं प्रदेश के बाहर के समकक्ष दूसरे शिक्षा मण्डलों/महाविद्यालयों से परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रवेश लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों के ग्राह्यता संबंधी दस्तावेजों का परीक्षण कर राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा प्रवेश के समय ग्राह्यता का निर्धारण संबंधी निर्णय लेकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण किया गया है। प्रवेशित छात्रों के गलत दस्तावेज गलत प्रवेश का संपूर्ण दायित्व संबंधित संस्था प्राचार्य व जिले की डाईट संस्था प्राचार्य का होगा।

- (5) प्रारंभिक शिक्षा में पत्रोपाधि पाठ्यक्रम (D.El.Ed.) प्रथम वर्ष के नियमित के समस्त छात्रों को मण्डल से नामांकन कराया जाना अनिवार्य होगा। छात्र का परीक्षा आवेदन-पत्र ऑनलाइन भरते समय छात्रों की परीक्षा शुल्क के साथ नामांकन की शुल्क ₹250/- रुपये भी जमा करेंगे। छात्रों को नामांकन हेतु पृथक से नामांकन कार्ड प्रदाय नहीं किये जाएंगे। नामांकन क्रमांक अंकसूची में निर्धारित स्थान में प्रविष्टि कर प्रदाय की जावेगी। संभागीय कार्यालय पृथक से नामांकन जारी नहीं करेंगे।
- (6) संस्था प्रमुख सुनिश्चित करेंगे कि नियमित प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति 75 प्रतिशत होना अनिवार्य है, 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले परीक्षार्थियों को आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी। फार्म में छात्र की उपस्थिति का प्रतिशत भी अंकित किया जाएगा। इस विषय में मण्डल विनियम में उल्लेखित कण्डिका 203, 208, 209 एवं 210 के अनुसार नियमित छात्रों की उपस्थिति विषयक प्रावधान लागू होंगे।
- (7) संबद्धता प्राप्त शासकीय एवं अशासकीय डी एड संस्थान के नियमित परीक्षार्थी आवेदन पत्र एम पी ऑनलाईन के कियोस्क के माध्यम से संस्था प्राचार्य द्वारा स्वयं प्रविष्टि कराये जायें किसी भी स्थिति में छात्र को कियोस्क पर नहीं भेजा जाए।

किसी भी स्थिति में प्रवेशित छात्र जिसने प्रथम वर्ष परीक्षा आवेदन नहीं भरा है, उन्हें यह सुविधा प्रदान नहीं की जावेगी। द्वितीय वर्ष के अभ्यर्थी ने जिस अवसर का परीक्षा आवेदन नहीं भरा है, उसका वह अवसर स्वतः समाप्त हो जावेगा। आवेदन पत्र भरने के पश्चात् प्रवेश-पत्र जारी होने पर भी छात्र परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता है, तो निरन्तर आने वाली अनुगामी परीक्षा का लाभ ले सकेगा, किन्तु जो अवसर का लाभ नहीं लिया है, वह उसे प्रदान नहीं किया जावेगा।

### पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र

प्रारंभिक शिक्षा में पत्रोपाधि पाठ्यक्रम (D.El.Ed.) प्रथम वर्ष नियमित हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के समय निम्न डाक्युमेंट जमा करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था प्राचार्य/प्रमुख एवं छात्र का होगा। आवेदन-पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा न होने की स्थिति में परीक्षा आवेदन पत्र मान्य नहीं किया जावेगा। संबंधित छात्र संस्था में उपस्थित होकर, संस्था द्वारा भरे गये फार्म में अंकित जानकारी एवं संलग्न पात्रता दस्तावेज की पुष्टि स्वयं करें कि संस्था द्वारा परीक्षा फार्म में भरी जानकारी व संलग्न दस्तावेज पूर्ण है।

प्रवेशित छात्रों के गलत दस्तावेज अथवा गलत प्रवेश का संपूर्ण दायित्व संबंधित संस्था प्राचार्य व जिले की डाईट संस्था प्राचार्य का होगा।

1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल अथवा समकक्ष बोर्ड से हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी (+2) परीक्षा उत्तीर्ण की अंक सूची की सत्यापित प्रति।
2. राज्य के बाहर/अन्य बोर्ड के परीक्षार्थी द्वारा अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची, प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांसफर सर्टिफिकेट एवं प्रवजन (माइग्रेशन) प्रमाण-पत्र।

प्रारंभिक शिक्षा में पत्रोपाधि पाठ्यक्रम (D.El.Ed.) परीक्षा (प्रथम/द्वितीय वर्ष) की शुल्क का विवरण		
क्र	विवरण	राशि
1	परीक्षा शुल्क (नियमित सम्पूर्ण विषय)	₹ 4000 /-
	दो विषय की परीक्षा शुल्क	₹ 1000 /-
	चार विषय की परीक्षा शुल्क	₹ 2000 /-
	चार से अधिक विषय की परीक्षा शुल्क	₹ 4000 /-
2	नामांकन शुल्क	₹ 250 /-
3	ग्राह्यता शुल्क (केवल अन्य राज्य/अन्य बोर्ड से आये छात्रों हेतु)	₹ 450 /-

एम. पी. ऑनलाईन के सेवा केन्द्र संचालक को शुल्क ₹ 25 /- रूपये पृथक से देय होगा।



सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश,  
भोपाल

भोपाल दिनांक: 16/03/2020

पृष्ठांकन क्रमांक/1613 /परीक्षा समन्वय/2020

प्रतिलिपि-

1. नि.स. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश।
  2. प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
  3. नि.स. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश।
  4. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, पुस्तक भवन, बी-विंग अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
  5. आयुक्त आदिवासी विकास सतपुडा भवन मध्यप्रदेश भोपाल।
  6. समस्त जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश।
  7. समस्त संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश।
  8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
  9. आंचलिक/समस्त संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश।
  10. समस्त प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय डी.एड.संस्थान म.प्र. की ओर भेजकर लिखा जाता है कि परीक्षा फार्म भरने के निर्देश विद्यालय में छात्रों की जानकारी हेतु सूचना पटल पर भी चस्पा करावें।
  11. सी.एस.ओ./पंजीयक-डाटा, परीक्षा/जनसम्पर्क अधिकारी/विधि सहा./स.स./क.अ.-गोपनीय, परीक्षा, डी.एड.सेल।
  12. नि.स-सचिव, अतिरिक्त सचिव, उपसचिव, परीक्षा, नियंत्रक, लोक सूचना अधिकारी, मा.शि.मण्डल।
  13. संचालक, एम पी ऑनलाईन मध्यप्रदेश भोपाल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश,  
भोपाल